रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 1983/पौष 16, 1904
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1983/PAUSA 16, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1983

सं. 5/83-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1716 तारीख 19 जुलाई, 1969 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में, "यात्री (अपर्यटक) सामान, नियम, 1960 और निवास स्थान अंतरण नियम, 1969" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "सामान नियम, 1978 और निवास स्थान अंतरण नियम, 1978" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[सं. 496/2/82-सीमाशुल्क]

के. कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1983

No. 5/83-CUSTOMS.

G. S. R. 11(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 1716, dated the 19th July, 1969, namely :—

In the proviso to the said notification, for the words and brackets "the Passengers (Non-Tourist) Baggage Rules, 1960, and the Transfer of Residence Rules, 1969", the words and figures "the Baggage Rules, 1978, and the Transfer of Residence Rules, 1978" shall be substituted.

[No. 496/2/82-Cus. VI]

K. KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983